

ईसीजीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन प्रशिक्षुओं की नियुक्ति

दिनांक: 19.09.2025

ईसीजीसी लिमिटेड, भारत सरकार का एक उपक्रम है जिसकी स्थापना वर्ष 1957 में ऋण जोखिम बीमा एवं निर्यात से संबंधित सेवाएँ प्रदान कर देश से किए जाने वाले निर्यात के संवर्धन के उद्देश्य से की गई, द्वारा सम्पूर्ण भारत में स्थित अपने विभिन्न कार्यालयों में प्रशिक्षुओं की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया है।

प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 तथा शिक्षता नियम, 1992 (समय-समय पर संशोधित) के अधीन प्रशिक्षुओं के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

आवश्यकताएँ

क्र सं	शिक्षण	प्रशिक्षुओं की सं	मासिक वेतन	प्रशिक्षण की अवधि
1.	किसी भी विषय में स्नातक	25	रु.12,300/-	01 वर्ष

प्रशिक्षण सीटों की संख्या

क्र सं	प्रशिक्षण स्थल	पता	प्रशिक्षण सीटों की संख्या
1.	भूवनेश्वर शाखा	प्लॉट नंबर -611, तीसरी मंजिल, शहीद नगर, भुवनेश्वर - 751 007	1
2.	रायपुर शाखा	तीसरी मंजिल, उद्योग भवन परिसर, रिंग रोड नंबर 1, तेलीबांधा, रायपुर - 492 006	1
3.	वाराणसी शाखा	पीसीएफ प्लाजा, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, यूनिट नंबर 1, नदेसर, वाराणसी - 221 002	1
4.	कानपुर शाखा	14/147, स्काई लार्क कॉम्प्लेक्स, तृतीय तल, चुन्नीगंज, कानपुर - 208 001	1
5.	आगरा शाखा	4/एस-109/एस-211 दूसरी मंजिल, कॉर्पोरेट पार्क, अशोक कॉसमॉस मॉल के पीछे संजय प्लेस, आगरा-282002 (उ.प्र.)	1
6.	नोएडा शाखा	1121, 11वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड टॉवर (डब्ल्यूटीटी), सी-1, सेक्टर 16, नोएडा, यूपी - 201 301	1

क्र सं	प्रशिक्षण स्थल	पता	प्रशिक्षण सीटों की संख्या
7.	मुरादाबाद शाखा	पंडित शंकर दत्त शर्मा मार्ग, सिविल लाइंस, मुरादाबाद - 244001	1
8.	जयपुर शाखा	दूसरी मंजिल, आनंद भवन, संसार चंद्र रोड, जयपुर-302 001	1
9.	जोधपुर शाखा	178, नारायणम, दूसरी मंजिल , अपर चोपासनी रोड, बॉम्बे मोटर सर्कल के पास, जोधपुर – 342 003	1
10.	ठाणे शाखा	कुसुमांजलि, पहली मंजिल, गोखले रोड, नौपाड़ा, ठाणे (पश्चिम), महाराष्ट्र 400602।	1
11.	नरीमन पॉइंट शाखा	दलामल हाउस, दूसरी मंजिल, जे.बी. मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400 021	1
12.	बांद्रा शाखा	द मेट्रोपॉलिटन, 7वीं मंजिल, प्लॉट नंबर सी-26/27, ई ब्लॉक, बांद्रा - कुर्ली कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400051	1
13.	नागपुर शाखा	लोटस प्लाज़ा, तल मंजिल , कार्यालय/दुकान क्रमांक सी और डी, वीसीए स्टेडियम के सामने, सिविल लाइंस, नागपुर-440001	1
14.	अहमदाबाद शाखा	नगीनदास चेम्बर्स, पहली मंजिल , उस्मानपुरा, आश्रम रोड, अहमदाबाद – 380 014	1
15.	राजकोट शाखा	निर्मल - दूसरी मंजिल, रामकृष्ण नगर कॉर्नर, स्वामी विवेकानंद मार्ग, सामने। नगर निगम आयुक्त का बंगला, राजकोट - 360 001	1
16.	वडोदरा शाखा	504, कॉनकॉर्ड, 6वीं मंजिल, आर.सी. दत्त रोड, अलकापुरी, वडोदरा - 390 007	1
17.	सूरत शाखा	503, 21 st सेंचुरी बिज़नेस सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास , रिंग रोड, सूरत – 395 002	1
18.	चेन्नई शाखा	ओवरसीज टावर्स, तीसरी मंजिल, एल-756- अन्ना सलाई, चेन्नई – 600002	1
19.	चेन्नई दक्षिण शाखा	15, प्रथम तल, सरयू पार्क, द्वितीय मुख्य मार्ग, न्यू कॉलोनी, क्रोमपेट, चेन्नई -600 044	1
20.	कोयंबटूर शाखा	चेरन प्लाज़ा, दूसरी मंजिल , 1090 त्रिची रोड, कोयंबटूर – 641 018	1
21.	करूर शाखा	तीसरी मंजिल, केवीआर कॉम्प्लेक्स, 80 फीट रोड, सेनगुंतपुरम, करूर – 639 002	1
22.	मदुरै शाखा	पहली मंजिल, 69 पी.टी. राजन सलाई, चोक्कीकुलम, विपक्ष। केन्द्रीय विद्यालय, मदुरै - 625002	1
23.	सेलम शाखा	शांति प्लाज़ा, तीसरी मंजिल, 1/5, बृंदावन रोड, पोन्नसामी गौंडर थिरुमना के सामने - मंडपम,	1

क्र सं	प्रशिक्षण स्थल	पता	प्रशिक्षण सीटों की संख्या
		फेयर लैंड्स, सेलम, - 636 004	
24.	तिरुपुर शाखा	346/347 केआरई टावर्स, पहली मंजिल, कुमारन रोड, तिरुपुर, तमिलनाडु - 641601	1
25.	तूतीकोरिन शाखा	209/ए-1, वी ई रोड, (प्रथम तल) बैंक ऑफ बड़ौदा ऊपर, सुगम होटल के पास, तूतीकोरिन 628 003।	1
	कुल		25

नोट: ऊपर उल्लिखित प्रशिक्षण सीटों की संख्या अनंतिम है तथा कंपनी की आवश्यकताओं के अनुसार निर्दिष्ट संख्या से भिन्न भी हो सकती है।

आवश्यक योग्यता :

उम्मीदवारों को ए आई सी टी ई / यू जी सी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक होना अनिवार्य।

अन्य शर्तें प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 एवं प्रशिक्षुता नियमों तथा उसके संशोधन के अनुसार लागू होंगी।

आयु सीमा:

न्यूनतम आयु-21 वर्ष, अधिकतम आयु-28 वर्ष

आरक्षण:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांगजनों के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आरक्षण लागू होगा। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षुता नियमों के अनुसार 5% सीटें नए प्रशिक्षुओं एवं कौशल प्रमाणपत्र धारक प्रशिक्षुओं के लिए आरक्षित हैं।

चयन प्रक्रिया

ईसीजीसी लिमिटेड (कंपनी) द्वारा गठित चयन समिति द्वारा ऑनलाइन आवेदन डेटा के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उम्मीदवारों की आवश्यक योग्यता में प्राप्तियों एवं स्थल सहित ऑनलाइन आवेदन के दौरान उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर चयन प्रक्रिया की जाएगी। दस्तावेज सत्यापन के दौरान किसी भी प्रकार की विसंगति के मामले में आवेदन को अयोग्य ठहराया जाएगा। अंतिम चयन प्रशिक्षण सीट एवं ऑनलाइन आवेदन में प्रस्तुत जानकारी के आधार पर पात्रता के सत्यापन के आधार पर किया जाएगा।

पंजीकरण प्रक्रिया एवं आवेदन प्रस्तुति

उम्मीदवारों को कंपनी में प्रशिक्षु हेतु आवेदन के पूर्व प्रशिक्षु पोर्टल www.nats.education.gov.in पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा। आवेदन के पूर्व उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना होगा कि उनके सभी प्रोफाइल विवरण (शैक्षणिक योग्यता, श्रेणी, व्यक्तिगत विवरण, आयु , प्रतिशत , सी जी पी ए आदि) सही हों। केवल , प्रशिक्षु पोर्टल पर विधिवत पूर्ण रूप से भरे विवरण वाले उम्मीदवार ही आवेदन हेतु पात्र होंगे।

I. एन ए टी स 1.0 राष्ट्रीय वेब पोर्टल में पहले ही प्रविष्टि प्राप्त एवं लॉग इन विवरण प्राप्त छात्रों के लिए	II. एन ए टी स 2.0 राष्ट्रीय वेब पोर्टल में नयी प्रविष्टि वाले छात्रों के लिए
<u>भाग क : प्रविष्टि हेतु</u> 1ला चरण : क) https://nats.education.gov.in/ पर जाएँ ख) छात्र पर क्लिक करें ग) छात्र लॉग इन घ) पास वर्ड भूल गए ड) लिंक एक्टिवेशन एवं पास वर्ड रि सेट करने के लिए पंजीकृत ईमेल की प्रविष्टि करें। 2रा चरण : क) छात्र लॉग इन ख) पंजीकृत ईमेल आई डी एवं पासवर्ड प्रविष्टि करें ग) आवेदन को पूर्ण करें घ) प्रत्येक छात्र के लिए विशिष्ट प्रविष्टि संख्या (12 अंकों वाली) जनेरेट होगी। भाग ख: प्रविष्टि पूर्ण करने के उपरांत क) छात्र लॉग इन ख) " विज्ञापित रिक्तियों में आवेदन " करने के लिए " ईसीजीसी लिमिटेड " सर्च करें। ग) आवेदन करें पर क्लिक करें (आपने सफलता पूर्वक रिक्ति हेतु आवेदन कर दिया है)	<u>भाग ख : प्रविष्टि हेतु</u> 2रा चरण : क) https://nats.education.gov.in/ जाएँ ख) छात्र पर क्लिक करें छात्र पंजीकरण पर क्लिक करें । ली प्रक्रिया पूर्ण करें 2 रा चरण : क) छात्र लॉग इन ख) आवेदन को पूर्ण करें ग) प्रत्येक छात्र के लिए विशिष्ट प्रविष्टि संख्या (12 अंकों वाली) जनेरेट होगी। भाग ख: प्रविष्टि पूर्ण करने के उपरांत क) छात्र लॉग इन ख) " विज्ञापित रिक्तियों में आवेदन " करने के लिए " ईसीजीसी लिमिटेड " सर्च करें। ग) आवेदन करें पर क्लिक करें (आपने सफलता पूर्वक रिक्ति हेतु आवेदन कर दिया है)

यात्रा , आवास व्यय

सत्यापन अथवा किसी अन्य कार्य के संबंध में उपस्थित होने के लिए किसी प्रकार का या भ / दै भ देय नहीं होगा किसी प्रकार के आवास व्यय स्वीकार्य नहीं होंगे।

चिकित्सा जांच :

प्रशिक्षु नियम 1992 की आवश्यकताओं के अनुसार चयनित प्रशिक्षुओं की नियुक्ति उनके चिकित्सा जांच के उपरांत योग्यता के आधार पर ही की जाएगी। प्रशिक्षुओं को सरकारी अस्पताल के सिविल सर्जन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी से " चिकित्सा फिटनेस " प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

महत्वपूर्ण तारीखें

क्र सं	गतिविधि	दिनांक
1	ऑनलाइन आवेदन आरंभिक तारीख	19.09.2025
2	आवेदन की अंतिम तारीख	05.10.2025
3	चयनित उम्मीदवारों को ईसीजीसी लिमिटेड के कार्यालयों में , दस्तावेजी सत्यापन हेतु स्वयं उपस्थित होना होगा।	पंजीकृत ईमेल आई डी पर निमंत्रण पत्र भेजे जाएँगे।

चयनित उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत ई मेल आई डी पर सूचना दी जाएगी।

सामान्य जानकारी

1. देय तारीख के उपरांत अपूर्ण / गलत ऑनलाइन आवेदनों को नामंजूर कर दिया जाएगा। इस संबंध में किसी प्रकार का पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।
2. किसी प्रशिक्षु को उसके प्रशिक्षु प्रशिक्षण की सफलता पूर्वक पूर्ण किए जाने पर ईसीजीसी द्वारा उसे रोजगार दिये जाने का ईसीजीसी का कोई दायित्व नहीं होगा और न ही किसी प्रशिक्षु को अधिकार होगा कि वह उसके द्वारा प्रशिक्षु प्रशिक्षण को सफलता पूर्वक पूर्ण किए जाने पर ईसीजीसी से किसी प्रकार के रोजगार की मांग करे। एक वर्ष की प्रशिक्षु अवधि की समाप्ति पर अनुबंध समाप्त माना जाएगा एवं कंपनी में नियमित नियुक्ति नहीं की जाएगी।
3. प्रत्येक प्रशिक्षु जो संगठन में प्रशिक्षु प्रशिक्षण में लिप्त है को प्रशिक्षु ही माना जाएगा एवं कार्मिक नहीं माना जाएगा एवं इस प्रकार के प्रशिक्षु के संबंध में रोजगार कानून के अधीन किसी भी प्रकार का कानून इस पर लागू नहीं होगा।
4. प्रशिक्षु द्वारा उस संबन्धित संगठन जहां उसे प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है , के आचरण, अनुशासन एवं सुरक्षा से संबन्धित सभी नियमों एवं विनियमों का पूर्ण अनुपालन अपेक्षित हैं एवं उसके द्वारा कंपनी के कार्मिकों एवं वरिष्ठों के वैद्य आदेशों का पालन किया जाना अपेक्षित होगा।
5. प्रशिक्षु को नियमित रूप से एवं ध्यान पूर्वक उसके विषय संबंधी जानकारी का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
6. यदि प्रशिक्षु अनुबंध में निबंधन व शर्तों की पूर्ति न कर पाने पर प्रशिक्षु के अनुबंध को समाप्त कर दिया जाये तो, प्रशिक्षु सलाहकार द्वारा निर्धारित अनुसार इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए हुई लागत को प्रशिक्षु द्वारा नियोक्ता को लौटाना होगा। इस प्रकार के मामले में प्रशिक्षु अधिनियम के अधीन प्रशिक्षु का किसी अन्य नियोक्ता के साथ प्रशिक्षु अनुबंध अमान्य होगा।
7. निम्नलिखित आधार पर प्रशिक्षु के प्रशिक्षु प्रशिक्षण अनुबंध को बिना किसी प्रतिपूर्ति के समाप्त कर दिया जाएगा :-
(क) यदि उन्हें कहीं अन्यत्र रोजगार प्राप्त हो जाये (नियुक्ति आदेश की प्रस्तुति पर) (ख) यदि वे चिकित्सकीय आधार पर प्रशिक्षण को जारी रखने में असमर्थ हों (सिविल सर्जन की श्रेणी वाले चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रस्तुति पर)
8. अवधि के दौरान प्रशिक्षु के संतोषजनक निष्पादन पर उनके वेतन की नियमितता निर्धारित होगी।
9. कंपनी में प्रशिक्षु की कार्यावधि कंपनी की सामान्य अवधि के अनुसार ही होगी जिसमें वे प्रशिक्षण रहे हों।
10. प्रशिक्षुओं के लिए कंपनी की छुट्टी संबंधी नीति प्रशिक्षु नियम व अधिनियम के अधीन ही निर्धारित होगी।
11. ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तिगत संगठन को हमारे कार्य के समन्वयन का कार्य नहीं सौंपा गया है। उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि धोखेबाज़ों से बचें एवं इस प्रकार की किसी घटना के लिए हमारा कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
12. किसी भी प्रकार के प्रचार / किसी अन्य स्रोत के माध्यम से दबाव बनाने की स्थिति में उम्मीदवारी को रद्द

कर दिया जाएगा एवं बिना किसी पूर्व सूचना के उनका नाम हमारे आधिकारिक रिकॉर्डों से हटा दिया जाएगा।
इस प्रकार के मामलों में बोर्ड की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी।

13. वेब पोर्टल में छात्र प्रविष्टि से संबंधित शंकाओं के समाधान हेतु कृपया ईमेल natssupport@aicte-india.org पर संपर्क करें।
 14. किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए उम्मीदवार ईसीजीसी से apprenticeship@ecgc.in ईमेल अथवा 022-66590510, 022-66590596 पर संपर्क करें।
-